तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.7.23	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्षो ने बहस करनी चाही। उभयपक्षो की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान अपनी सातेदारी वकील प्रार्थी ने अपनी बहस के दौरान अपनी सातेदारी आराजी नम्बर 5033/717 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, एंव आराजी नम्बर 718 रकबा 0.4806 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.6071 हैक्टेयर भूमि मे आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 715 रकबा 0.3541 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 716 रकबा 0.2276 हैक्टेयर बिलानाम भूमि के दक्षिण पूर्वी कोने के सहारे-सहारे 20 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम किये जाने की इस्तदुआ की। जब कि पैरोकार सरकार ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने की इस्तदुआ की। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया तथा तहसीलदार माण्डल की मौका रिपोर्ट पर अध्ययन एंव मनन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा० का० अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है, अत: :: आदेश :: प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा० का० अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की आराजी ग्राम [illegible] भगवानपुरा तहसील [illegible] जिला [illegible] मे स्थित हाल आराजी नम्बर 5033/717 रकबा 0.1265 हैक्टेयर एंव आराजी नम्बर 718 रकबा 0.4806 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा कुल 0.6071 हैक्टेयर भूमि पर आने-	

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya.
Date: 2024.02.02 16:53:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	-जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज नही है, एव मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। उपरोक्त भूमि मे आने-जाने हेतु अप्रार्थी की बिलानाम आराजी नम्बर 7/5 रकबा 0.3541 हेक्टेयर व आराजी नम्बर 7/6 रकबा 0.2276 हेक्टेयर भूमि मे से 20 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रार्थी की आराजी नं. 7/8, 5033/7/7 के दक्षिण पूर्वी कोने के सहारे-सहारे दिये जाने का आदेश दिया जाता है। 20 फीट-चौड़ाई के रास्ते मे काम मे आने वाली भूमि की D.L.C. दर की डबल राशि नकद या D.D. प्रार्थी से प्राप्त कर अप्रार्थी को भुगतान करे। अप्रार्थी की भूमि रास्ते मे आने वाली भूमि को राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करते हुए नक्शे मे तरमीम किया जावे। तहसीलदार माण्डल को निर्णय की पालना भिजवाते हुए लिखा जावे। तहसीलदार माण्डल राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 15:53:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा